न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 94/2024 (उदयपुर डिक्री)

भेरूलाल पिता रामा जी जाट, निवासी पीथलपुरा, तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. किशनलाल पिता रामा जी जाट, निवासी पीथलपुरा, तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)
2. हरलाल पिता रामा जी जाट, निवासी पीथलपुरा, तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)
3. सरकार जरिये तहसीलदार, कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अ.–1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर, भीण्डर दिनांक 08.07.2024 प्रकरण सं. 164/2021

———/———

उपस्थित :– 1. श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री जगदीश पूर्बिया अभिभाषक रेस्पो. सं. 1, 2

———::———

निर्णय दिनांक 12–03–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीथलपुरा, तहसील कानोड़ में वाद पत्र की कलम संख्या 1 परिशिष्ट ''क'' वर्णित आराजी नंबर 19312, 250, 25213, 332, 339, 40212, 40412, 41112, 415, 422, 43112 कुल किता 11 रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा, परिशिष्ट ''ख'' वर्णित आराजी नंबर 25211, 403 कुल किता 2 रकबा 7 बिस्वा, परिशिष्ट ''ग'' वर्णित आराजी नंबर 391, 406 कुल किता 2 रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित है। वादीगण व प्रतिवादी का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष नवला जी के 4 पुत्र सवला उर्फ सवलाल, मगना, रामा, मेघा हुए, जिसमें से मगना लाऔलाद फोत होने से शेष तीन पुत्रों का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित हुआ। सवला के वारिस स्याणी बाई व भैरूलाल गोद पुत्र है। मेघा के वारिस प्यारचन्द व नानीबाई हुई तथा रामा के वारिस किशनलाल, हरलाल, गंगा व मु. सोवनी हुए। सवला के कोई पुत्र नहीं होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:33 IST
Reason: SelfAttested

से उसने रामा के पुत्र भैरूलाल को गोद रखा तथा सवला की भूमि पर काबिज है, इसलिए रामा की सम्पत्ति में उसका कोई हक व अधिकार नहीं रहा, किन्तु रामा जी के हिस्से की भूमि में भी भैरूलाल का 1/3 हिस्सा दर्ज हो जाने से वादीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा प्रतिवादी भैरूलाल, वादीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08–07–2024 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश पूर्बिया उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट जरिये अधिवक्ता दिनांक 27–11–2019 को उपस्थित हुए, किन्तु इसके बाद कई पेशियों तक न्यायालय नहीं लगने से तारीख पेशी तब्दील होती गयी तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार सहायक कलेक्टर भीण्डर नवीन न्यायालय स्थापित होने से पत्रावली सहायक कलेक्टर भीण्डर में दर्ज रजिस्टर की गयी तथा सूचना पत्र जारी होने पर अपीलान्ट दिनांक 12–11–2021 को न्यायालय में उपस्थित हुए तथा जवाब व अधिवक्ता नियुक्ति हेतु समय चाहा तथा अधिवक्ता नियुक्त किये जाने पर दिनांक 30–11–2023 की पेशी नियत की गयी, किन्तु पीठासीन अधिकारी चुनाव में व्यस्त होने से दिनांक 28–12–2023 की पेशी नियत की जाकर आगामी पेशी दिनांक 15–02–2024 नियत की गयी तथा इसके बाद दिनांक 23–05–2024 को अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिया गया तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट को गोद पुत्र मानकर वाद डिक्री कर दिया गया, जबकि गोद पुत्र बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अपीलान्ट को सवला जी की भूमि सवला की पुत्री श्याणी बाई द्वारा हक त्याग से प्राप्त हुई है, न कि गोद पुत्र के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:33 IST
Reason: SelfAttested

पर, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें The Registration Act] 1908 Part III /sec 17(3), RRT 2024 (2) Page 1009, 1048, RRD 1985 Page 99, WLC (Raj.) UC Page 337, RLW 2015 (4) Page 3108, AIR 1971 SC Page 1865, RRD 1993 Page 346, AIR 1995 Orissa Page 270 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट/प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रतिवादी भैरूलाल को सवला के गोद जाना मानते हुए रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद स्वीकार किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई गोदनामा संलग्न नहीं है। हालांकि सवला की पुत्री श्याणी बाई ने अपीलान्ट के पक्ष में जो हकत्याग किया है, उसकी कलम संख्या 1 में अपीलान्ट को अपना सगा भाई होना बताया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय का आधार माना है, किन्तु अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 08–09–2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 05–05–2025 को उपस्थित रहें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 12–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:33 IST
Reason: SelfAttested